

# न्यायालय, समाहर्ता, खगड़िया।

30/3/2017 13/13

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

5/10/17 10/17  
11/17

आदेश पत्रक-ता०

से

जिला-खगड़िया

सा०

सन्

केस का प्रकार-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त-विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में।

आदेश की क्रम  
नं० और तारीख  
1.

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

02

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
टिप्पणी  
तारीख-सहित

5-2017

पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 1711/सी०आर० दिनांक 10.05.2017 द्वारा बेलदौर थाना काण्ड संख्या-234/2015 दिनांक 10.10.2015 धारा-47(ए०) बिहार उत्पाद संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जप्त किये गये विदेशी शराब 180 एम०एल० का 75 बोतल नं०-1 एवं 180 एम०एल० ( इम्प्रीयम ब्लू ) का 05 बोतल थाना के मालखाना में रखा हुआ है। थानाध्यक्ष बेलदौर का जप्ती सूची एवं प्रतिवेदन संलग्न है।

विदेशी शराब 180 एम०एल० का 75 बोतल नं०-1 एवं 180 एम०एल० ( इम्प्रीयम ब्लू ) का 05 बोतल सड़ने गलने की पूर्ण संभावना एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर को लेकर विनष्ट करने की अनुमति का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

अतः उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-57 में प्रदत्त शक्ति के आलोक में उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि बेलदौर थाना कांड में जप्त देशी/विदेशी शराब को अपने देख रेख में नष्ट करें, तथा अनुपालन प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित करेंगे।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, बेलदौर /उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्ता, खगड़िया।



समाहर्ता, खगड़िया।

Handwritten notes and signatures on the right margin, including dates like 13.5.2017 and various signatures.